न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 61/2017

GCMS No.–2017/00046

सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. विधाधर पुत्र प्यारेलाल जाति जाट, निवासी ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत नेवटा, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश सरपंच ग्राम पंचायत नेवटा दिनांक 09.04.1996 जिसके द्वारा गोविन्द नगर योजना ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर का भू खण्ड संख्या 12 का पट्टा जारी किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री शिवसिंह चौधरी निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 28.03.2023

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत नेवटा, पं.स. सांगानेर द्वारा विपक्षी संख्या 1 विधाधर पुत्र प्यारेलाल जाति जाट निवासी ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर के पक्ष में आदेश दिनांक 09.04.1996 के द्वारा पट्टा संख्या 12 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.07.2016 को न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 30.03.2017 की अनुपालना में स्थानान्तरित होकर पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। विपक्षी संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की अधिवक्ता श्री शंकर लाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया, दौराने बहस अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मूल पट्टा पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत नेवटा की ओर से दौराने बहस कोई उपस्थित नहीं आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। निगरानीकार अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अधिवक्ता निगरानीकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत नेवटा ने विपक्षी संख्या एक के पक्ष में दिनांक 09.04.1996 को जो पट्टा जारी किया है वह विधिसम्मत नहीं है। ग्राम नेवटा के पूर्व सरपंच द्वारा गोविन्द नगर योजना आवासीय व व्यवसायिक प्रयोजनार्थ गठित कर भू खण्ड व दुकानों का हस्तान्तरण पंचायत राज अधि0 1994 में दिये गये कानून व नियमों के प्रतिकूल नीलामी समिति का चयन किये बिना बाजार भाव से कम राशि में विक्रय कर दिये।

ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधि0 1994 के तहत आबादी भूमि को विक्रय करने के लिये पंचायत राज नियम 141 से 160 की अवहेलना करते हुए पट्टा जारी किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत नेवटा ने ग्राम की आबादी भूमि के विक्रय के लिए गोविन्द नगर योजना स्वविवेक से बनाई जबकि पंचायत राज अधिनियम के नियम 142 के तहत सहायक टाउन प्लानर से साइड प्लान व नक्शे की इजाजत प्राप्त करने के पश्चात वरिष्ठ टाउन प्लानर से आवासीय प्लान की सहमति/इजाजत प्राप्त करने के पश्चात वरिष्ठ टाउन प्लानर से आवासीय प्लान की सहमति/इजाजत प्राप्त करने के पश्चात ही भू खण्ड आवंटन की प्रकिया अपनाई जा सकती है। किसी भी भूखण्ड की नीलामी करने से पूर्व नियम 152 के तहत नीलामी कमेटी का दायित्व है कि सही व उचित नीलामी के लिये प्रचलित बाजार भाव की दर उपपंजीयक कार्यालय से प्राप्त कर नीलामी बोली की दर नियत करे किन्तु निगरानीधीन पट्टे की कार्यवाही में नहीं किया गया। ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकॉर्ड की जांच पी.ई.ओ. पंचायत समिति सांगानेर द्वारा की गई अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.07.2009 में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया एवं नियम 151 के तहत बाजार भाव पर भूमि विक्रय करनी चाहिए थी व पट्टे डी.एल.सी. रेट लेकर दिये जाने चाहिए थे। भू खण्ड की मूल्य राशि 6,000/– रूपये से अधिक होने के कारण पुष्टि पंचायत समिति से नहीं करवायी गयी। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा गैर निगरानीकार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 आदेश दिनांक 09.04.1996 को निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टा पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है, कि ग्राम पंचायत नेवटा, द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में 200 वर्गगज भूखण्ड का आदेश दिनांक 09.04.1996 द्वारा पट्टा संख्या 12 जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज नियमों की पालना नहीं की गई है एवं निगरानीधीन पट्टा जारी कर पंचायत राज कोष को हानि पहुंचाई है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की आबादी भूमि के विक्रय हेतु दिनांक 30.12.1995 को आम सूचना जारी की गयी जिसकी पालना में दिनांक 21.03.1996 को नीलामी की कार्यवाही कर पट्टे जारी किये गये। पंचायती राज अधिनियम की धारा 142

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अनुसार ग्राम पंचायत को योजना तैयार करने हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन अधिकारी अथवा ग्राम आयोजनाकार जो सहायक आयोजनाकार से नीचे की रैंक का नहीं हो के द्वारा अनुमोदन अयोजना हेतु करवाया चाहिए किन्तु ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा ऐसा नहीं किया गया तथा पंचायती राज नियम 142 में निहित प्रावधानो की अवेहलना की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 151 के तहत नीलामी समिति के गठन संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 152 के अनुसार आवंटित की जाने वाली भूमि की विद्यमान बाजार कीमत ध्यान में रखते हुए नीलामी नहीं किया जाना जाहिर होता है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध.दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा गैर निगरानीकार को पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम 1994 में निहित नियम 142 लगायत 152 की अवहेलना किया जाकर राजकोष को हानि पहुंचाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नेवटा पंचायत समिति सांगानेर द्वारा गैर निगरानीकार के हक में आदेश दिनांक 09.04.1996 द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत, नेवटा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) किया जाता है कि प्रकरण में गैर निगरानीकार को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, यह सुनिश्चित किया जावे कि यदि गैर निगरानीकार के पक्ष में जारी पट्टे में दर्शित भूखण्ड की भूमि पर गैर निगरानीकार काबिज है, तो उसे मद्दे नजर रखते हुये, राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 में निर्धारित कानूनी प्रकिया का अक्षरशः पालन करते हुये पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावे। अन्यथा भूमि निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत नेवटा पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों के तहत विधिसम्मत निर्णय लेवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर